# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

## पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

## उनवान मु0 मुकेश चन्द शर्मा बनाम योगेश कुमार शर्मा बगै

### वाद संख्या–78/2013

दिनांक निर्णय–31.10.2017

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक वाद बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा वादी मुकेश चन्द शर्मा पुत्र रामप्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी जयपुरा तहसील बसवा द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 15.04.2013 को वादी पक्ष द्वारा पेश कियां। वाद पत्र के अनुसार जमाबन्दी खेवट खतौनी के खाता संख्या नया 99 पुराना 96 के ख0 नं0 148 रकबा 0.9000 है0, 149 रकबा 0.3900 है0, 150 रकबा 0.4900 है0, 242 रकबा 0.0100 है0, 243 रकबा 0.0200 है0, 244 रकबा 0.0200 है0 गैर मुमकिन चाह, ख0 नं0 245 रकबा 0.2800 है0, 263 रकबा 0.4700 है0, 264 रकबा 0.2900 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.8700 है0 वाके ग्राम जयपुरा तह0 बसवा जिला दौसा में स्थित है। उपरोक्त भूमि को आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

भूमि मुतदाविया जिसका वर्णन वाद पत्र के पैरा नम्बर एक में किया गया है प्रतिवादी संख्या एक ला0 तीन मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा 1/2, व वादी नम्बर एक मुकेश व प्रतिवादी संख्या 4 ला0 13 हिस्सा 1/2 राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक दर्ज चला आ रहा है।

उपरोक्त वर्णित भूमि मुतदाविया में वादी कुकेश व प्रतिवादीगण संख्या 4 ला0 13 अपने 1/2 हिस्से पर काबिज होकर हर वर्ष फसल बोकर लाभान्वित होते आ रहे है व प्रतिवादी संख्या 1 ला0 तीन अपने 1/2 हिस्से पर हर वर्ष फसल बोकर लाभान्वित होते आ रहे है।

उक्त भूमि मुतदाविया को वादी व प्रतिवादीगण संख्या एक ला0 13 ने अपनी अपनी मन समाई से मौके पर अपनी अपनी सुविधा अनुसार बांट रखी है लेकिन फरीफुन का मौके पर सरस नरस व विधिपूर्वक तकास्मा नही हुआ है इस वजह से फरीफेन के

31/10/17

उप जिला कलेक्टर
बाँदीकुई (दौसा)

हिस्से में जमीन कम बत्ती दर्ज चली आ रही है व राजस्व रिकॉर्ड में भी भूमि का विधिवत विभाजन सनही हुआ है।

भूमि मुतदाविया का विधिवत रूप से तकास्मा पक्षकारान के मध्य नही होने की वजह से वादी को सरकारी सहायता प्राप्त करने मे अनेको प्रकार की परेशानियों का सामना करान पडता है तथा हांसिल जमा कराने में भी पक्षकारान को भारी परेशानी उठानी पडती है इस वजह से वादी आनी भूमि में किसी प्रकार का रचनात्मक काम करने मे व भूमि को उपजाउ बनाने मे व कूप निर्माण करने में भारी परेशान हो रहा है इस वजह से वादी ने प्रतिवादीयों से उक्त भूमि मुतदाविया का सरस नरस व विधि सम्मत तरीके से विभाजन करवाने का निवेदन किया तो वहॉ मौजूदा प्रतिवादीगण वादी से नाराज हो गये जिन्होने उक्त भूमि मुतदाविया का सरस नरस व विधिसम्मत तरीके से तकास्मा करवाने से कतई इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में अपने हकूको की रक्षा के लिये व भविष्य में होने वाली क्षति से बचने के लिये दावा हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है अतः दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश है।

भूमि मुतदाविया जिसका वर्णन वाद पत्र के पैरा नं0 एक में किया गया है खाता संख्या नया 99 पुराना 96 के किसी भी भाग का बेचान किसी भी शख्स के हक में करने से दावामी तौर पर बाज व मुमतनाह रहें व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को सदा सर्वदा के लिये यथावत बनाये रखे व मौके की स्थिति को भी यथावत बनाये रखे तथा प्रतिवादी संख्या 14 को इस आश्य से पाबन्द फरमाया जावे की वो उक्त भूमि मुतदाविया जिसका वर्णन वाद पत्र के पैरा नं0 एक में किया गया है किसी भी सख्स के हक में रहन व बेचान नही करें व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति को यथावत बनाये रखे तथा सदा सर्वदा के लिये प्रतिबंधित रहें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प न्याय आपके द्वार 2016 गुल्लाना में पेश हुई। पक्षकारान को लोक अदालत में सुनवाई हेतु बुलवाया गया। पक्षकारान की सुनवाई लोक अदालत में की गई। वादी का कथन है कि वह उसकी संयुक्त खातेदारी भूमि का तकास्मा कराना चाहता है।

अतः पक्षकारान की सुनवाई एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात दावा वादी प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार बसवा को आदेश दिये जाते है कि विवादित भूमि आ0 ख0 न0 149, 150, 242 से 245, 263, 264 कुल किता 9 कुल रकबा 2.87 है0 भूमि स्थित वाके रामा जयपुरा तह0 बसवा

31/10/17

उप जिला कलेक्टर
बाँदीकुई (दौसा)

का पक्षकारान के मध्य हिस्से अनुसार उनकी उपस्थिति में सरस नरस व रास्ते आदि का ध्यान रखते हुए कुर्रेजात तैयार कर भिजवाये। आदेश देने के पश्चात तहसीलदार बसवा द्वारा निम्न प्रकार कुरेजात प्रस्तुत किये।

| नाम खातेदार | खसरा नम्बर | रकबा |
|---|---|---|
| योगेश गणेश पि0 किलाण, कस्तुरी पत्नि किलाण हि0 1/2 जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार | 150<br>263<br>148 मि0<br>किता 3 | 0.49<br>0.47<br>0.48<br>1.44 है0 |
| कैलाश चन्द, मोतीलाल, बाबूलाल, लालाराम उर्फ ओमप्रकाश, मुकेशचन्द, दिनंश, रोशन, अशोक पि0 रामप्रसाद, पुष्पा, प्रेम पुत्रियॉ रामप्रसाद, बुद्दी देवी धर्म पत्नि स्व0 रामप्रसाद हि0 1/2 जाति ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार | 148 मि0<br>149<br>242<br>243<br>244<br>245<br>264<br>किता 7 | 0.42<br>0.39<br>0.01<br>0.02<br>0.02<br>0.28<br>0.29<br>1.43 है0 |

प्राप्त कुरेजात पर वादी व प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नही की। तत्पश्चात कुरेजात वास्ते विचारार्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुए पत्रावली में वादी द्वारा कुरेजात पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। इस पर न्यायालय द्वारा वास्ते आदेश पत्रावली रखी गई। दिनांक 29.09.2017 को पत्रावली वास्ते आदेश रखने पर न्यायालय द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर मुताबिक कुर्रेजात वाद तकास्मा निर्णित करने का निर्णय लिया, इसलिए मुताबिक कुरेजात वाद तकस्मा अंतिम डिग्री किया जाता है। प्रस्ताव में वादी के हिस्से में आए खसरा नम्बर पर प्रतिवादी किसी प्रकार का दखल नही दे। इस बाबत उसे पाबंद किया जाता है। अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

31/10/17

( चिम्मनलाल मीना )
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप जिला कलेक्टर
बांदीकुई (दौसा)